

## बीसी पैनल को मलिंगी और अधिका शक्तियाँ

### चर्चा में क्यों?

अन्य पछिड़ा वर्गों के लोग जल्द ही अपनी शिकायतों के नविवरण के लिये संवैधानिक स्थिति के साथ पछिड़ा वर्ग के लिये एक नए राष्ट्रीय आयोग (NCBC) के साथ संपर्क करने में सक्षम होंगे।

### प्रमुख बिंदु

- लोकसभा द्वारा 123वें संविधान संशोधन अधियक के पारति होने के बाद यह पैनल अस्तित्व में आ जाएगा जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पछिड़ा वर्ग (SEBC) को प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों को लागू करने और उनकी शिकायतों का नविवरण करने में सक्षम होगा।
- वर्तमान एनसीबीसी आरक्षण के लाभ के लिये केवल ओबीसी सूची से जातियों को शामिल करने, बहिष्करण करने और इन जातियों के बीच आय के स्तर के आधार पर "क्रीमी लेयर" को कम करने की सफ़िकारशि कर सकता है।
- अब तक अनुसूचति जातियों के लिये राष्ट्रीय आयोग ओबीसी की शिकायतों पर चर्चा करता था।
- संविधान के तहत उपलब्ध सुरक्षा उपायों से संबंधति सभी मामलों की जाँच के लिये संविधान के अनुच्छेद 338 जो कि "अनुसूचति जातियों और अनुसूचति जनजातियों के लिये विशेष अधिकारी" की नयिकृति की व्यवस्था करता है, स्पष्ट रूप से कऱएससी / एसटी (SC/ST) "अन्य पछिड़ा वर्गों के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा"।
- इसलिये 1990 के दशक में ओबीसी आरक्षण एक वास्तविकता बनने के साथ, एससी आयोग का अधिकार बढा दिया गया। ये कार्य अब नए पैनल में स्थानांतरति हो जाएंगे।
- आरक्षण, आर्थिक शिकायतों, हिसा इत्यादि के कार्यान्वयन से संबंधति शिकायतों के मामले SEBC श्रेणी के लोग आयोग को स्थानांतरति करने में सक्षम होंगे।
- अधियक की धारा 3 (5) प्रस्तावति आयोग को अधिकारों और सुरक्षा उपायों के वंचति होने की शिकायतों की जाँच करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 3 (8) इसे एक सविलि कोर्ट के समान मुकदमों की सुनवाई की शक्ति देती है और यह कऱसी को भी समन भेजने की अनुमति देती है। इसके लिये दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना होता है।

और अधिका पढ़ें : [एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला अधियक लोकसभा में पारति](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/bc-panel-will-get-more-powers)